



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



आरोपी जहीर को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 10 माह के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2024 में अभियुक्त जहीर पुत्र वहीद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 186/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.05.2025 को मा0 न्यायालय जेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जहीर को दोषी पाते हुए 10 माह के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 29.05.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित उर्फ पीला पुत्र विरेन्द्र निवासी बाबली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है०का० 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-है०का० 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 29.05.2025

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित पुत्र नरेश निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री गिरिराज किशोर शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 29.05.2025

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 पेटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का (48 पत्तै) बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 पेटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का (48 पत्तै) बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुर्जन पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

01 पेटी अवैध देशी शराब यूपी मार्का (48 पक्वै) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-है0का0 82 धर्मपाल थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 29.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग 157/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विजय उर्फ बिजार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा।

अभियुक्त विजय उर्फ बिजार का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 01/23 धारा 323/504/506 भदावि थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 77/24 धारा 354/354ख/323/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 96/24 धारा 379/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 213/24 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 85/25 धारा 13G एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 95/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

नोट- विजय उर्फ बिजार पुत्र ऋषिपाल उपरोक्त थाना बिनौली का एच0एस है, जिसका एच0एस नं0 1455/A है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।